

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आईटम नंबर 2 से 12, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जीएस और सीएसएस योजना की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3215/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री किरिन रिजीजू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3216/17/21]

(3) वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3217/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3218/17/21]

(ख) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3219/17/21]

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3220/17/21]

(घ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3221/17/21]

(इ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3222/17/21]

(च) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3223/17/21]

(छ) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3224/17/21]

(ज) (एक) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3225/17/21]

(2) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3226/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3227/17/21]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरूग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3228/17/21]

(5) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3229/17/21]

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3230/17/21]

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3231/17/21]

(तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3232/17/21]

(चार) वर्ष 2020-2021 के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3233/17/21]

(पांच) वर्ष 2020-2021 के लिए एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3234/17/21]

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 3235/17/21]

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 3236/17/21]

(9) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता, ऊर्जा लेखापरीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक) नियम, 2020 जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.607(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) ऊर्जा संरक्षण (नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत सन्नियम और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर, और योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2020 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.779(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 3237/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3238/17/21]

- (3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 3239/17/21]

(4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3240/17/21]

(5) वर्ष 2021-2022 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3241/17/21]

(6) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2020, जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.769(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3242/17/21]

(7) अधिसूचना सं. का.आ.4683(अ), जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार उक्त अधिनियमों के अंतर्गत जारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मध्य प्रदेश

राज्य के भोपाल महानगर क्षेत्र और इंदौर महानगर क्षेत्र तक किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3243/17/21]

- (8) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार सामान्य पूल रिहायशी आवास (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3244/17/21]

- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3245/17/21]

- (ख) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3246/17/21]

(ग) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3247/17/21]

(घ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3248/17/21]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3249/17/21]

(12) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[Placed in Library, See No. LT 3250/17/21]

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) वर्ष 2021-2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3251/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3252/17/21]

- (ख) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3253/17/21]

- (ग) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3254/17/21]

- (घ) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3255/17/21]

- (ङ) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3256/17/21]

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3257/17/21]

(3) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3258/17/21]

(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3259/17/21]

(4) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3260/17/21]

(तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3261/17/21]

(5) (एक) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3262/17/21]

(तीन) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3263/17/21]

(6) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 3264/17/21]

(7) (एक) व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(तीन) व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3265/17/21]

(8) (एक) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3266/17/21]

(तीन) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3267/17/21]

(9) (एक) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3268/17/21]

(तीन) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3269/17/21]

(10) (एक) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3270/17/21]

(11) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3271/17/21]

(तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3272/17/21]

(12) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3273/17/21]

(13) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (उद्ग्रहण तथा शुल्क और प्रभारों का संग्रह) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईडब्ल्यूआई/कार्गो/184/2009/खंड-2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3274/17/21]

(14) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3275/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 2021 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए इस्पात मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3276/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं 14वीं, 15वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 33	तेरहवां सत्र, 2008 [Placed in Library, See No. LT 3277/17/21]
पंद्रहवीं लोक सभा		
2.	विवरण संख्या 39	दूसरा सत्र, 2009

		[Placed in Library, See No. LT 3278/17/21]
3.	विवरण संख्या 32	तीसरा सत्र, 2009 [Placed in Library, See No. LT 3279/17/21]
4.	विवरण संख्या 33	चौथा सत्र, 2010 [Placed in Library, See No. LT 3280/17/21]
5.	विवरण संख्या 33	पांचवां सत्र, 2010 [Placed in Library, See No. LT 3281/17/21]
6.	विवरण संख्या 31	छठां सत्र, 2010 [Placed in Library, See No. LT 3282/17/21]
7.	विवरण संख्या 31	सातवां सत्र, 2011 [Placed in Library, See No. LT 3283/17/21]
8.	विवरण संख्या 34	आठवां सत्र, 2011 [Placed in Library, See No. LT 3284/17/21]
9.	विवरण संख्या 31	नवां सत्र, 2011

		[Placed in Library, See No. LT 3285/17/21]
10.	विवरण संख्या 30	दसवां सत्र, 2012 [Placed in Library, See No. LT 3286/17/21]
11.	विवरण संख्या 28	ग्यारहवां सत्र, 2012 [Placed in Library, See No. LT 3287/17/21]
12.	विवरण संख्या 26	बारहवां सत्र, 2012 [Placed in Library, See No. LT 3288/17/21]
13.	विवरण संख्या 27	तेरहवां सत्र, 2013 [Placed in Library, See No. LT 3289/17/21]
14.	विवरण संख्या 22	चौदहवां सत्र, 2013 [Placed in Library, See No. LT 3290/17/21]
15.	विवरण संख्या 23	पंद्रहवां सत्र, 2013-14 [Placed in Library, See No. LT 3291/17/21]
सोलहवीं लोक सभा		

16.	विवरण संख्या 22	दूसरा सत्र, 2014 [Placed in Library, See No. LT 3292/17/21]
17.	विवरण संख्या 22	तीसरा सत्र, 2014 [Placed in Library, See No. LT 3293/17/21]
18.	विवरण संख्या 21	चौथा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 3294/17/21]
19.	विवरण संख्या 18	पांचवा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 3295/17/21]
20.	विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 3296/17/21]
21.	विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 3297/17/21]
22.	विवरण संख्या 16	आठवां सत्र, 2016

		[Placed in Library, See No. LT 3298/17/21]
23.	विवरण संख्या 15	नवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 3299/17/21]
24.	विवरण संख्या 13	दसवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 3300/17/21]
25.	विवरण संख्या 13	ग्यारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 3301/17/21]
26.	विवरण संख्या 11	बारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 3302/17/21]
27.	विवरण संख्या 10	तेरहवां सत्र, 2017-18 [Placed in Library, See No. LT 3303/17/21]
28.	विवरण संख्या 9	चौदहवां सत्र, 2018 [Placed in Library, See No. LT 3304/17/21]
29.	विवरण संख्या 8	पंद्रहवां सत्र, 2018

		[Placed in Library, See No. LT 3305/17/21]
30.	विवरण संख्या 6	सोलहवां सत्र, 2018-19 [Placed in Library, See No. LT 3306/17/21]
31.	विवरण संख्या 5	सत्रहवां सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 3307/17/21]
सत्रहवीं लोक सभा		
32.	विवरण संख्या 4	पहला सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 3308/17/21]
33.	विवरण संख्या 3	दूसरा सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 3309/17/21]
34.	विवरण संख्या 2	तीसरा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 3310/17/21]
35.	विवरण संख्या 1	चौथा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 3311/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत) वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग- अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3184 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 8ड. के डिजाइन किमी. 140.470 से किमी. 181.450 तक (वर्तमान में चैनेज किमी. 139.915 से किमी. 180.478 तक) कागवदार-ऊना के चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का. आ. 3185 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 18 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 40) के डिजाइन किमी. 108.850 से किमी. 160.130 तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 18 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 40) के रायाचोटी से कडापा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीन) का. आ. 3186 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 548ख पर किमी. 32.225 से किमी. 66.693 तक लोखंडी-सावरगांव-रेनापुर खंड और किमी.

0.000 से किमी. 3.815 तक अम्बजगांव बाईपास परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चार) का. आ. 3217 (अ) जो 22 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड (पैकेज-2) पर एनएचडीपी-4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 73 के किमी. 33.000 (डिजाइन चैनेज किमी. 35.400) से किमी. 71.640 (डिजाइन चैनेज किमी. 86.855 तक) के गागलहेड़ी-सहारनपुर-यमुनानगर (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा) की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पांच) का. आ. 3254 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 544घघ के डिजाइन किमी. 0.00 से किमी. 56.00 तक अनंतपुरामू से कल्याणदुर्ग खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छह) का. आ. 3255 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 5 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 18) के किमी. 0.000 से किमी. 80.600 (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 81.257 तक) बालासोर से बारीपाडा से झारपोखरिया की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सात) का. आ. 3256 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 361ख के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 50.275 तक कलम्ब-रालेगांव-वाडकी खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(आठ) का. आ. 3298 (अ) जो 25 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 167 के डिजाइन किमी. 15.525 से किमी. 62.880 तक जड़चेरला-कलवाकुर्ती खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(नौ) का. आ. 3425 (अ) जो 30 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 05 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 95) के किमी. 170.380 से किमी. 194.040 तक तलवंडी भाई से फिरोजपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दस) का. आ. 3469 (अ) जो 6 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 925 (डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 136.520 तक) के गागरिया-बौरी-कलां-सेरवा-बाखासर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग- 925क (डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से 60.450 तक) के सत्ता-गांधव खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(ग्यारह)का. आ. 3508 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 149 के किमी. 0.000 से किमी. 68.280 तक पल्लाहारा से पीतरी खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह) का. आ. 3509 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 (राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 से राष्ट्रीय राजमार्ग- 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 61)) के मनवत (तदबोरगांव) तक) के किमी. 342.000 से किमी. 444.000 तक मनवत (तदबोरगांव) खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेरह) का. आ. 3510 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 221) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 70.190 तक इब्राहिमपट्टनम से आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौदह) का. आ. 3637 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 57 (बोलनगीर -खुर्दा खंड) के दोनों ओर 1.5 मीटर पीएस के साथ दो लेन सीई के चौड़ीकरण और किमी. 162.010 से किमी. 224.900 तक मजबूत किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पंद्रह) का. आ. 3638 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 381 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 13.400 तक और किमी. 13.800 से किमी. 31.800 तक (वर्तमान किमी. 0.000 से 13.400 तथा 13.800 से 31.800 तक) अविनाशी-त्रिपुर-अविनाशीपलयम खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सोलह)का. आ. 3815 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएचडीपी-फेज 5 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 2) के डिजाइन किमी. 712.900 से किमी. 785.544 तक (वर्तमान किमी. 713.215 से किमी. 785.859 तक) हांडिया-राजातालाब खंड की छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्रह) का. आ. 3887 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730 के बरहनी-कात्या चौक खंड (किमी. 385.00 से किमी. 420.00

तक) की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठारह) का. आ. 3888 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-तीन के अंतर्गत झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 के किमी. 0.000 से किमी 40.500 तक बरही-हजारीबाग खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उन्नीस) का. आ. 3889 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730 के किमी. 323.745 से किमी. 351.000 तक बलरामपुर-तुलसीपुर खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बीस) का. आ. 3890 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 के किमी. 131.000 से किमी. 211.000 तक मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्कीस) का. आ. 3891 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में मन्था तालुक सीमा-वाथुर फाटा-अस्थि-माजलगांव धरुर कैज-कालम्ब यरमला-बरसी के किमी. 101.740 से किमी. 159.258 तक के माजलगांव से कैज खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बाईस) का. आ. 3939 (अ) जो 2 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 16 के किमी. 1022.494 से किमी. 1100.694 तक गुंडुगोलानू से कनक दुरगम्मा

वाराधी खंड तक वर्तमान चार लेन मार्ग की छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेईस) का. आ. 4033 (अ) जो 9 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-चार के बारे में झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 32 के किमी. 0.000 से किमी 56.889 तक गोविंदपुर (राजगंज)-चास-पश्चिम बंगाल सीमा खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौबीस)का. आ. 4180 (अ) जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी फेज-दो के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- 7 के किमी. 624.480 से किमी 653.225 तक सिओनी-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पच्चीस)का. आ. 4181 (अ) जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 254 के किमी. 82.400 से किमी 132.300 तक मौर से रमन मंडी तक की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छब्बीस) का. आ. 4248 (अ) जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 42 के डिजाइन किमी. 76.000 से किमी 99.971 तक और किमी. 99.971 से किमी. 133.471 तक अनंतपुरामू से मुदिगुब्बा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्ताईस) का. आ. 4258 (अ) जो 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 के किमी. 285.000 से किमी. 326.00 तक कालूपुर-ललता खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अट्टाईस)का. आ. 4423 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 57 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 224) के डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 45.750 तक (वर्तमान चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 45.750 तक) बोलनगीर -सोनेपुर खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनतीस)का. आ. 4502 (अ) जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 74 के डिजाइन किमी. 71.614 से किमी. 170.407 तक (वर्तमान किमी. 73.000 से किमी. 175.000 तक) नगीना-काशीपुर की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीस) का. आ. 4586 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 709ख के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 61.409 तक (वर्तमान किमी. 30.790 से किमी. 92.200 तक) ईपीई चौराहे से शामली बाईपास की शुरूआत तक चार और अधिक लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतीस)का. आ. 4587 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 34) के डिजाइन किमी. 209.100 से किमी. 216.824 तक (वर्तमान किमी. 211.000 से किमी. 218.200 तक) और डिजाइन किमी. 158.900 से डिजाइन

किमी. 188.324 तक (वर्तमान किमी. 165.000 से किमी. 196.825 तक) हरिद्वार-देहरादून खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बत्तीस)का. आ. 4635 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 8ड. के डिजाइन किमी. 287.430 से किमी. 379.100 तक (वर्तमान किमी. 263.200 से किमी. 356.766 तक) गादू-पोरबंदर खंड के नीचे सारणी-1 के कॉलम (1) में वर्णित वाहनों के प्रकार संबंधी चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैतीस)का. आ. 4791 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में उमापुर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 35) के किमी. 382.930 से किमी. 377.550 तक की संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौतीस)का. आ. 27 (अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 (रायपुर-औरंग) के किमी. 239.000 से किमी. 281.000 तक दो लेन मार्ग से चार लेन विभाजन तक की परियोजना संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैतीस)का. आ. 63 (अ) जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 के डिजाइन किमी. 92.025 से 133.500 तक (वर्तमान किमी. 89.600 से 133.520 तक) हरपालपुर-सुगीरा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छत्तीस)का. आ. 64 (अ) जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 233 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी 65.870 तक (वर्तमान किमी. 0.000 से किमी. 65.000 तक) भारत-नेपाल सीमा से रुधौली खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सैतीस) का. आ. 280 (अ) जो 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 334) के डिजाइन किमी. 166.000 से किमी 209.120 तक (वर्तमान किमी. 166.000 से किमी. 211.000 तक) मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 3312/17/21]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन-एक में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में प्रकाशित

हुए थे ।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3313/17/21]

- (4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का. आ. 4262 (अ) जो 25 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लद्दाख के लिए 'एलए' पंजीकरण चिन्ह के बारे में है ।

(दो) केन्द्रीय मोटरवाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय मोटरवाहन (तेरहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 934(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 935(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 959(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) केन्द्रीय मोटरवाहन (पहला संशोधन) नियम, 2020 जो 17 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) का. आ. 295 (अ) जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो दादरा नागर हवेली और दमन दीव के लिए 'डीडी' पंजीकरण चिन्ह तथा छत्तीसगढ़ के लिए 'सीजी' पंजीकरण चिन्ह के बारे में है ।

(आठ) केन्द्रीय मोटरवाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) केन्द्रीय मोटरवाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौथा संशोधन) नियम, 2020 जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह)केन्द्रीय मोटरवाहन (पांचवा संशोधन) नियम, 2020 जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2020 जो 26 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) का. आ. 2339 (अ) जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो पंजीकरण चिन्ह के अल्फान्युमेरिक एंड बैकग्राउंड कलर के बारे में है ।

(चौदह) केन्द्रीय मोटरवाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) केन्द्रीय मोटरवाहन (आठवां संशोधन) नियम, 2020 जो 1 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह)का. आ. 3204 (अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो कोविड-19 के दौरान परिवहन वाहन के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने के बारे में है ।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3314/17/21]

- (6) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 3423/17/21]

- (7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- शुल्क (दरों का नियतन और संग्रहण) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 804(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3315/17/21]

- (8) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत मोटर वाहन (हाई सिक्वोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) संशोधन आदेश, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1759 (अ) में प्रकाशित हुए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3316/17/21]

- (10) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय मोटर वाहन (शुल्क में ढील) आदेश, 2020, जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1579 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3317/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3318/17/21]

- (3) वर्ष 2021-2022 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 3319/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री रतन लाल कटारिया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

) नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सेनिटेशन एंड क्वालिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT 3320/17/21]

- (2) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3321/17/21]

(4) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3322/17/21]

(6) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3323/17/21]

- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3324/17/21]

(3) वर्ष 2021-2022 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 3325/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

प्र. :-

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 3326/17/21]

- (2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3327/17/21]

- (3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3328/17/21]

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2019--2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3329/17/21]

(5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3330/17/21]

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 3331/17/21]

(7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3332/17/21]

(8) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3333/17/21]

(9) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3334/17/21]

(10) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनिताल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनिताल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3335/17/21]

(11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 3336/17/21]

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण

[Placed in Library, See No. LT 3337/17/21]

(13) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3338/17/21]

(15) वर्ष 2020-2021 के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3339/17/21]

